छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर

---00---

//संक्षिप्त विज्ञापन//

क्रमांक एफ 3–1/2024/1–13 **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 30/01/2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 एवं अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 810(अ) दिनांक 24.10.2019 के प्रावधानों के तहत **छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के दो पद (माह मार्च, 2024 में रिक्त होने के फलस्वरूप) पर नियुक्ति** हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2/ आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र प्रारूप में **दिनांक 16/02/2024 को 5:30 बजे शाम तक** जमा किया जा सकता है।

3/ उक्त पद की अर्हताएं एवं सेवा शर्ते तथा आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http://gad.cg.gov.in या www.cg.nic.in/gadonline में अवलोकन किया जा सकता है तथा रोजगार और नियोजन के आगामी अंक में देखा जा सकता है।

उप-सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
——00——

क्रमांक एफ 3–1 / 2024 / 1–13

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक: 30 / 01 / 2024

विज्ञापन एवं शर्ते

विषय – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में माह मार्च, 2024 में राज्य सूचना आयुक्त के दो रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

———000———

राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यो के निष्पादन हेतु किया गया है। यह कार्यालय नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में स्थित है।

2/— राज्य शासन,एतद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 एवं भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.10.2019 को प्रकाशित "सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019" के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में **माह मार्च, 2024 में रिक्त होने वाले राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों पर नियुक्ति** हेतु इच्छुक भारत के नागरिकों से, जो उक्त पद हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव धारित करते हों, आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद से संबंध में अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. **योग्यता –** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 15(5) एवं 15(6) के अनुसार आवेदक विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।

   आवेदक यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रखेगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना / बंद करना होगा।

2. **पदावधि –** यथास्थिति राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

3. **नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत होना –** यथास्थिति, ऐसे राज्य सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत समझा जायेगा ।

4. 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नही होंगे।

...क्रमशः—2....

3/— **आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता—** इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण एवं सुस्पष्ट जानकारी सहित **सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग** (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), कक्ष क्रमांक—ए.डी. 0 13, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) 492002 के पते पर **स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक** से भेजे जा सकेंगे । **अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किए जायेंगे ।**

4/— **आवेदन पत्र दिनांक 16 फरवरी 2024 को शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।** उसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

टीप :—
(1) अपूर्ण रूप से भरे अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
(2) आवेदक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र"** अंकित किया जाये।
(3) योग्यता, ख्याति एवं सेवा आदि संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु संलग्न अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां संलग्न की जाए ।
(4) आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित नही होना चाहिए आवेदक यदि केन्द्र या राज्य की सेवा में रहा हो तो उसके विरूद्ध कोई अपराधिक/विभागीय जांच का मामला लंबित नहीं होना चाहियें एवं आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित न किया गया हो।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में " राज्य सूचना आयुक्त "के रिक्त होने वाले पद पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए विवरण भेजने हेतु प्रपत्र

कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

1. नाम : ____________________

2. जन्मतिथि : ____________________

3. वर्तमान पता : ____________________

____

____

4. संपर्क सूत्र

(क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) : ____________________

(ख) मोबाईल : ____________________

(स) फैक्स : ____________________

5. ई–मेल पता : ____________________

6. शैक्षिणक योग्यता : ____________________

____

7. ख्याति का क्षेत्र (विज्ञापन की कंडिका–2(1) में दिये गये विवरण अनुसार :
(संलग्न प्रपत्र में संक्षिप्त विवरण दे)

ख्याति का क्षेत्र (कृपया ✓ करे)	
विधि	
विज्ञान और प्राद्योगिकी	
सामाजिक सेवा	
प्रबंधन	
पत्रकारिता	
जनसंपर्क माध्यम	
प्रशासन और शासन	

8. उपलब्धियां / कार्य अनुभव : ____________________

____

9. वर्तमान व्यवसाय : ____________________

____

तिथि : ____________

स्थान : ____________

हस्ताक्षर : ____________

नाम : ____________

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त होने वाले पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

क्रम संख्या	पद	संगठन/शासकीय सेवा के संबंध में पदस्थापना / अन्य विवरण	अवधि		उपलब्धि / अनुभव का विवरण (संक्षिप्त विवरण के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छयाप्रतियां संलग्न करे।)
			से	तक	
1					
2					
3					
4					
5					